

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
प्रारूप मसौदा का प्रकाशन

संख्या :

दिनांक:

ग्रा0वि0 07 (वीबी-जी राम जी)- 13/2026

विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत-जी राम जी) अधिनियम, 2025 (2025 का अधिनियम सं. 36) की धारा 33 की उपधारा (1) के साथ सहपठित धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (च) और (ण), धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (घ) तथा धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत- जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या 5736799 दिनांक 09.06.2026 की अध्याय XVIII के आलोक में, बिहार सरकार एतद द्वारा निम्नलिखित नियम का प्रारूप प्रस्तावित करती है तथा एतद द्वारा उन समस्त व्यक्तियों, जिनको इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए इसे प्रकाशित किया जा रहा है और एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो इसके प्रकाशन तिथि से 7 (सात) दिनों की अवधि के अंदर समर्पित किया जा सकता है ।

उक्त प्रारूप के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव, यदि हो, तो विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व श्री प्रेम प्रकाश, अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना को संबोधित किया जा सकता है अथवा rlrsec-bih@nic-in पर ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर बिहार सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत-जी राम जी) - शिकायत निवारण नियम, बिहार, 2026 के प्रारूप का प्रकाशन

अध्याय ।

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

- 1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम “विकसित भारत-जी राम जी - शिकायत निवारण नियम, बिहार, 2026” है।
- 2) ये नियम राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएँ

इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

क) **"अधिनियम"** से विकसित भारत— रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत—जी राम जी) अधिनियम, 2025 (2025 का अधिनियम सं. 36) अभिप्रेत है;

ख) **"योजना"** से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित विकसित भारत—जी राम जी योजना, बिहार, 2026 अभिप्रेत है;

ग) **"शिकायत"** से ऐसी कोई भी शिकायत या अभ्यावेदन अभिप्रेत है जो मौखिक रूप से, लिखित रूप में या डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत की गई हो, जिसके साथ अधिमानतः आवेदक या किसी अन्य व्यक्ति का पूरा नाम और संपर्क विवरण संलग्न हो, और जो योजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी मामले से संबंधित हो, जिसमें अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) में संदर्भित मामले भी शामिल हैं;

घ) **"शिकायत निवारण पदाधिकारी/प्राधिकार"** से बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से नियुक्त ऐसे किसी भी अधिकारी या निकाय से अभिप्रेत है, जिसे इन नियमों के तहत ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला या किसी अन्य विनिर्दिष्ट स्तर पर शिकायतें प्राप्त करने, पंजीकरण करने, जाँच करने और उनका निस्तारण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई हो, और इसमें प्रत्यायोजित प्राधिकार के तहत कार्य करने वाला कोई भी अधिकारी शामिल है;

ङ) **"शिकायत निवारण प्रणाली"** से केन्द्र सरकार या बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ—साथ बिहार सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न स्तरों पर ऐसे प्राधिकारियों से युक्त संस्थागत तंत्र अभिप्रेत है, जो अधिनियम और इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार योजना के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों की प्राप्ति, पंजीकरण, जाँच और निपटान के लिए स्थापित है;

च) **"शिकायत निवारण हेतु डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना"** से केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या नामित एकीकृत डिजिटल प्रणाली या मंच अभिप्रेत है, जो शिकायतों के पंजीकरण के लिए नागरिकों हेतु प्रत्यक्ष रूप से सुलभ है और जिससे शिकायतों का पारदर्शी, उत्तरदायी तथा समयबद्ध तरीके से पूर्णतः डिजिटल ट्रैकिंग, निगरानी और निपटान किया जा सकता है;

छ) **"जिला कार्यक्रम समन्वयक"** (डीपीसी) से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अंतर्गत जिले में नामित जिला कलक्टर अभिप्रेत है;

ज) **"कार्यक्रम पदाधिकारी"** (पीओ) से अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अंतर्गत नियुक्त पदाधिकारी अभिप्रेत है;

झ) **"कार्यान्वयन एजेंसी"** के अंतर्गत केन्द्र सरकार या बिहार सरकार का कोई भी विभाग, जिला परिषद, मध्यवर्ती स्तर की पंचायत, ग्राम पंचायत या कोई भी स्थानीय प्राधिकारी या सरकारी उपक्रम शामिल है, जिसे योजना के तहत किए जाने वाले किसी भी कार्य के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई हो;

ज) "राज्य शिकायत निवारण प्राधिकरण" से बिहार सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अंतर्गत नामित राज्य स्तरीय प्राधिकारी अभिप्रेत है;

ट) "मध्यवर्ती स्तर" से ग्राम और जिला स्तरों के बीच का वह स्तर अभिप्रेत है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (ग) के तहत विनिर्दिष्ट किया गया है;

ठ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" या "अधिसूचित" शब्दों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

ड) यहाँ प्रयुक्त तथा परिभाषित न किए गए किन्तु अधिनियम में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए नियत किए गए हैं।

अध्याय II

शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना एवं संरचना

3. शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना

(1) वार्ड, ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला और राज्य स्तरों पर, तथा ऐसे अन्य स्तरों पर जिन्हें विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, एक समयबद्ध और बहु-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगी।

(2) प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक निर्धारित दिन तय किया जाएगा, जब पदाधिकारी शिकायतों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे।

(3) बिहार सरकार निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करेगी :

क) शिकायतों को प्रस्तुत करने, पंजीकरण करने, उनकी पावती देने और उन्हें ट्रैक करने की प्रक्रिया;

ख) शिकायतों और अपीलों के निस्तारण के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित समय-सीमा;

ग) उन शिकायतों के लिए स्वचालित उच्चस्तरीय प्रेषण (एस्केलेशन) तंत्र जिनका निस्तारण विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया गया है;

घ) शिकायतकर्ता को जाँच की स्थिति और निवारण हेतु उठाए गए कदमों को पारदर्शी तरीके से प्रकट करने की प्रक्रिया।

4. शिकायत निवारण प्राधिकार – नामांकन एवं स्तर

(1) बिहार सरकार प्रत्येक स्तर पर शिकायत निवारण प्राधिकार (शिनिप्रा) को नामित करेगी। जब तक अन्यथा अधिसूचित न किया जाए, निम्नलिखित पदाधिकारी शिनिप्रा के रूप में कार्य करेंगे :-

क्र०सं०	स्तर	शिकायत निवारण प्राधिकार
i	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत
ii	प्रखंड (ब्लॉक)	कार्यक्रम पदाधिकारी (पीओ)
iii	जिला	जिला कार्यक्रम समन्वयक (जिला पदाधिकारी)
iv	राज्य	राज्य शिकायत निवारण प्राधिकरण (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नामित)

(2) बिहार सरकार आवश्यकतानुसार किसी भी स्तर पर अतिरिक्त अधिकारियों को शिकायत निवारण पदाधिकारी / प्राधिकार के रूप में नामित कर सकती है।

अध्याय III

शिकायतों की प्राप्ति, पंजीकरण एवं पावती

5. शिकायतें प्रस्तुत करने के माध्यम

(1) शिकायत निम्नलिखित किसी भी माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है :-

क) व्यक्तिगत रूप से — ग्राम पंचायत / पंचायत रोजगार सेवक, कार्यक्रम पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष;

ख) लिखित रूप में—डाक, ई—मेल या हाथ से;

ग) डिजिटल माध्यम से — शिकायत निवारण हेतु केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा नामित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, योजना के MIS पोर्टल या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से;

घ) मौखिक रूप से — टेलीफोन के माध्यम से, जिसमें नामित हेल्पलाइन शामिल है;

ङ) ग्राम सभा या सामाजिक अंकेक्षण के दौरान मौखिक शिकायत के रूप में।

(2) शिकायत ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला या राज्य स्तर पर शिकायत निवारण हेतु नामित किसी भी कार्यालय या प्राधिकारी को प्रस्तुत की जा सकती है।

(3) कोई भी शिकायत, प्रपत्र, भाषा या प्रस्तुत करने के तरीके आदि किसी भी आधार पर अस्वीकार या पंजीकरण से इन्कार नहीं की जाएगी।

6. शिकायत निवारण डेस्क की स्थापना

(1) जिले के प्रत्येक प्रखंड और जिला स्तर पर एक शिकायत निवारण डेस्क स्थापित की जाएगी। यह डेस्क निम्नलिखित कार्यों में सहायता प्रदान करेगी :

क) शिकायतों की प्राप्ति और पंजीकरण;

ख) अधिनियम और योजना के कार्यान्वयन सम्बन्धी पूछताछ के लिए जानकारी और उत्तर प्रदान करना;

ग) डिजिटल माध्यम से शिकायत दर्ज करने में अनभिग्य या अक्षम शिकायतकर्ताओं की सहायता करना।

घ) प्रत्येक स्तर पर सप्ताह में कम से कम एक निर्धारित दिन अधिकारी अनिवार्य रूप से शिकायत निवारण डेस्क पर उपलब्ध रहेंगे।

7. पंजीकरण एवं पावती

(1) इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक शिकायत को केन्द्र सरकार द्वारा नामित "शिकायत निवारण हेतु डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना" पर अनिवार्य रूप से दर्ज और विधिवत् पंजीकृत किया जाएगा।

(2) शिकायत के पंजीकरण पर, एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या (यूनिक रेफरेंस नंबर) उत्पन्न होगी और शिकायतकर्ता को दिनांकित रसीद जारी कर इसकी पावती दी जाएगी।

(3) पंजीकरण संख्या का उपयोग शिकायत की ट्रैकिंग, निगरानी और निपटान के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

(4) मौखिक या टेलीफोनिक शिकायत की दशा में, प्राप्तकर्ता अधिकारी शिकायत को लिखित रूप में अंकित कर स्वयं पंजीकृत करेगा और पंजीकरण संख्या शिकायतकर्ता को मौखिक रूप से सूचित करेगा।

अध्याय IV

जिला कार्यक्रम समन्वयक की भूमिका

8. जिला कार्यक्रम समन्वयक – नोडल अधिकारी

जिला कार्यक्रम समन्वयक या उनके द्वारा नामित कोई भी अधिकारी जिला स्तर पर शिकायत निवारण प्रणाली के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगा :-

क) यह सुनिश्चित करना कि प्राप्त सभी शिकायतों को केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित या नामित शिकायत निवारण हेतु डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से विधिवत् दर्ज, पंजीकृत और निस्तारित किया जाए;

ख) जिला स्तर पर प्राप्त सभी शिकायतों को उचित शिकायत निवारण प्राधिकारी को अग्रेषित करना और अधिनियम तथा इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार उनकी जाँच एवं निपटान की निगरानी करना;

ग) यह सुनिश्चित करना कि स्थल सत्यापन या निरीक्षण के माध्यम से जाँच और निपटान शिकायत प्राप्त होने के सात कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाए तथा सुधारात्मक कार्रवाई की जाए, और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर नामित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड की जाए;

घ) जहाँ प्रारंभिक जाँच के दौरान या सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों के माध्यम से वित्तीय अनियमितता के प्रथम –दृष्टया साक्ष्य प्रकट होते हैं, वहाँ जिला कार्यक्रम समन्वयक, कानूनी सलाह प्राप्त करने के उपरांत, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायेगा और आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ करना सुनिश्चित करेगा;

ङ) यह सुनिश्चित करना कि शिकायतकर्ता को जाँच के निष्कर्षों और निवारण हेतु उठाए गए कदमों के बारे में लिखित रूप में, भौतिक या डिजिटल माध्यम से सूचित किया जाए;

च) यह सुनिश्चित करना कि सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा और निगरानी हेतु मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत की बैठकों के समक्ष रखा जाए;

छ) बिहार सरकार को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जिसमें शिकायतों की संख्या, प्रकृति और श्रेणी, तथा शिकायतों के निपटान और लंबित मामलों का विवरण शामिल होगा।

अध्याय V

शिकायतों के निपटान की प्रक्रिया

9. जाँच एवं निपटान की समय-सीमा

(1) स्थल सत्यापन या निरीक्षण के माध्यम से जाँच और निपटान, शिकायत प्राप्त होने के सात कार्य दिवसों के भीतर पूरी की जाएगी।

(2) जाँच पूरी होने के पश्चात संबंधित पदाधिकारी / प्राधिकार तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ करेगा और शिकायत का निपटान पंद्रह दिनों के भीतर किया जाएगा।

(3) निर्धारित स्तर पर सात कार्य दिवसों के भीतर शिकायत का निपटान नहीं करने को इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा और इसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 27 या इसके किसी भी संबंधित प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(4) संबंधित प्राधिकारी शिकायतकर्ता को जाँच के निष्कर्षों और निवारण हेतु उठाए गए कदमों के बारे में लिखित रूप में, भौतिक या डिजिटल माध्यम से सूचित करेगा।

(5) सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई को समीक्षा और निगरानी हेतु मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत की बैठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

10. स्वचालित उच्चस्तरीय प्रेषण (ऑटो-एस्केलेशन)

(1) वार्ड, ग्राम पंचायत, प्रखंड या जिला स्तर पर पंद्रह दिनों के भीतर निस्तारित न की गई कोई भी शिकायत शिकायत निवारण हेतु डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से स्वतः ही अगले उच्च स्तर पर प्रेषित हो जाएगी।

(2) ऐसे स्वचालित उच्चस्तरीय प्रेषण की निरंतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगरानी की जाएगी।

(3) स्वचालित उच्चस्तरीय प्रेषण की शिकायतों का अगले उच्च स्तर पर सात कार्य दिवसों के भीतर निस्तारण किया जाएगा।

11. लोकपाल

(1) ग्रामीण विकास विभाग प्रत्येक जिले के लिए एक लोकपाल नियुक्त करेगी, जो शिकायत प्राप्त करेगा, जाँच करेगा तथा केन्द्र सरकार और बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुसार निर्णय / पंचाट / आदेश पारित करेगा।

(2) लोकपाल नामित पोर्टल से एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य करेगा।

(3) लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, अर्हता, कार्यकाल एवं अन्य शर्तें ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा पृथक् रूप से अधिसूचित की जाएंगी।

अध्याय VI अपीलों की प्रक्रिया

12. अपीलीय क्षेत्राधिकार एवं प्रक्रिया

(1) अपीलीय क्षेत्राधिकार की संरचना निम्नानुसार होगी:

क) ग्राम पंचायत के आदेशों के विरुद्ध अपील – कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रखंड स्तर) के समक्ष;

ख) कार्यक्रम पदाधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील – जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष;

ग) जिला कार्यक्रम समन्वयक के आदेशों के विरुद्ध अपील – राज्य शिकायत निवारण प्राधिकरण या बिहार सरकार द्वारा नामित अधिकारी के समक्ष।

(2) सभी अपीलों आदेश की तिथि से पैंतालीस दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए।

(3) सभी अपीलों का निपटान, अपील प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर किया जाएगा।

(4) अपीलीय प्राधिकार अपीलकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

(5) अपील में पारित आदेश की प्रति अपीलकर्ता को भौतिक या डिजिटल माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

अध्याय VII

पारदर्शिता, अभिलेख एवं निगरानी

13. अभिलेख संधारण एवं डिजिटल प्रकाशन

(1) मस्टर रोल सहित सभी लेखा और अभिलेख सार्वजनिक जाँच के लिए निःशुल्क उपलब्ध होंगे; आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीन कार्य दिवसों के भीतर प्रतियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी।

(2) विलंब के दिनों की संख्या, देय क्षतिपूर्ति तथा वास्तविक रूप से भुगतान की गई क्षतिपूर्ति का विवरण प्रबंधन सूचना प्रणाली में प्रदर्शित किया जाएगा।

(3) शिकायत निवारण संबंधी सभी सूचनाएँ नामित पोर्टल से एकीकृत डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से सार्वजनिक (लोक) प्रकटीकरण के रूप में की जाएंगी और साप्ताहिक प्रकटीकरण स्वचालित रूप से तैयार किए जाएंगे।

(4) जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी आधिकारिक वेबसाइट अधिनियम से संबंधित सभी सूचनाओं के साथ नियमित रूप से अद्यतन (अपडेट) की जाए और निःशुल्क, इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाउनलोड योग्य उपलब्ध हो।

अध्याय VIII

दंड एवं वसूली

14. उल्लंघन के लिए दंड (शास्ति)

(1) जो कोई भी अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, वह ऐसे दंड का भागी होगा, जो अधिकतम दस हजार रुपये तक हो सकता है।

(2) योजना के अंतर्गत व्यय की गई राशि के किसी भी दुर्विनियोग की वसूली राज्य में प्रचलित संबंधित राजस्व वसूली कानूनों के अंतर्गत की जाएगी।

(3) ऐसी वसूली का वह भाग जो केन्द्रीय अंश से संबंधित है, उसे केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित तंत्र के माध्यम से भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा।

अध्याय IX

विविध

15. व्यापकता

ये नियम विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 तथा विकसित भारत-जी राम जी योजना, बिहार, 2026 के प्रावधानों के अनुसार पढ़े और लागू किए जाएंगे। किसी असंगति की स्थिति में अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

16. संक्रमण कालीन उपबंध (Transitional Provision)

जब तक इन नियमों के अंतर्गत नए नियम अधिसूचित नहीं किए जाते, तब तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शिकायत निवारण हेतु जारी दिशा-निर्देश, जहाँ तक ये इस अधिनियम और योजना से असंगत न हों, इन नियमों के अंतर्गत भी लागू होंगे।

राज्यपाल के आदेश से,

(पंकज कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव

ग्रामीण विकास विभाग,

बिहार, पटना।